

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :-1/2025

GCMS NO:- 2025/67

दायर दिनांक: 3.4.2025

पीठारीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

बन्दी आ0 जगन्नाथ जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा पो0 गुढासदावर्तिया

प्रार्थी

बनाम

1. भूस्वामी जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवाँ।
2. रामचरण आ0 राजू जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा पो0 गुढासदावर्तिया।
3. धनेश आ0 राजू जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा पो0 गुढासदावर्तिया।
4. नरेश आ0 राजू जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा पो0 गुढासदावर्तिया।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थिति:-

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री हरिनारायण स्वामी।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहपुरा प0म0 मरां मे खसरा नम्बर 443/134 रकबा 0.4854 हैक्टर भूमि स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी आधिपत्य की भूमि है।

यह कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 443/134 के पास प्रत्यार्थीगण 2 लगायत 4 के खेत आ रहे है जो पुरानी पत्थरगढी सीमाओं को नही मान रहे है। उक्त प्रत्यार्थीगण प्रत्यार्थीगण लडाकू व आपराधी प्रवृति के व्यक्ति है जो प्रार्थी के खाते की भूमि की मेड को तोडकर पुराने चिन्हो को नष्ट भ्रष्ट कर रहे है तथा मना करने पर लडाईं झगडा व मारपीट करने को उतारू होते है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा पेश व शपथ पत्र पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पूर्व मे करवाये गये सीमाज्ञान का आवेदन पेश किया हुआ है अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवाँ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम फतेहपुरा प0म0 मरां मे खसरा नम्बर 443/134 रकबा 0.4854 हैक्टर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
नैनवाँ